न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 32/2015

(1) मृतका श्रीमती भगवतीदेवी धर्मपत्नी पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी सीतो तहसील अबोहर जरिये वैधानिक प्रतिनिधिगण 1/1 दिलीप कुमार 1/2 बलवन्त 1/3 देवीलाल पुत्रगण श्रीमती भगवतीदेवी व पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी सीतो तहसील अबोहर
(2) श्रीमती सावित्री धर्मपत्नी राजाराम जाति बिश्नोई निवासी खेरपुर, तहसील अबोहर
(3) मनोहरी
(4) ममता
(5) सरोज
(6) प्रदीप कुमार
(7) पवन कुमार
— पुत्रगण व पुत्रियां राजाराम जाति बिश्नोई निवासी खेरपुर, तहसील अबोहर

(8) महीराम
(9) परमेश्वरी
(10) रामी
(11) चन्द्रकला
(12) विद्यादेवी
(13) इमानली
— पुत्रगण व पुत्रियां हंसराज जाति बिश्नोई निवासी खेरपुर, तहसील अबोहर

— अपीलान्ट्स

बनाम

(1) मालसिंह पुत्र करनेलसिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगीवाला, तहसील सूरतगढ
(2) गुलासिंह पुत्र करनेलसिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगीवाला, तहसील सूरतगढ
(3) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोलायत नम्बर 1 — रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री सत्यपाल साहू, अभिभाषक, अपीलार्थीगण।
2. पेरोकारराज राज्य की ओर से — श्री दामोदर दास व्यास
3. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा है।

—: आदेश :—

दिनांक :— 14—06—2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत—1 की आज्ञा दिनांक 19—03—2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25—05—2015 को प्रस्तुत की गई हैं।

(2) संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम रोही बीठनोक तहसील कोलायत स्थित खसरा नम्बर 723 तादादी 249 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि के सहखातेदार मोहब्बतसिंह, बागसिंह, हनुमानसिंह, नारायणसिंह पि0 श्यामसिंह जिनका 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा दलपतसिंह पुत्र पीरदानसिंह का था। 1/2 हिस्से के हिस्सेदार मोहब्बतसिंह वगैरह ने अपनी 99 बीघा 11 बिस्वा भूमि जरिये बैयनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दी जो नामान्तरकरण संख्या 459 दिनांक 28–08–1974 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया। इसी प्रकार दलपतसिंह द्वारा खसरा नम्बर 723 में से 62 बीघा अपीलान्टा संख्या 1 को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09–12–1970 को विक्रय कर दी जिसका इन्तकाल संख्या 429 दिनांक 26–04–1974 को दर्ज हो गया तथा इसी खसरा नम्बर 723 की शेष 62 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण संख्या 2 से 13 के पूर्वजों हंसराज व केसर को जरिये पंजीकृत बैयनामा विक्रय कर दी जिसका इन्तकाल संख्या 770 दिनांक 24–04–1982 दर्ज हो गया लेकिन तहसीलदार, कोलायत ने अपने निर्णय दिनांक 14–10–2002 के द्वारा अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि के दर्जशुदा इन्तकाल निरस्त करते हुए खसरा नम्बर 723 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये। इसी आदेश से व्यथित होकर मृतका अपीलार्थिया श्रीमती भगवतीदेवी व वर्तमान अपीलान्ट संख्या 2 ता 7 के पति व पिता राजाराम ने एक अपील कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष पेश की जो दिनांक 07–02–2007 को स्वीकार कर ली गई तथा तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 14–10–2002 को अभिखण्डित करते हुए पत्रावली तहसीलदार, कोलायत नम्बर 1 को प्रतिप्रेषित करते हुए समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय लेने हेतु रिमाण्ड कर दी। उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नम्बर 1 को रिमाण्ड आदेशों की अनुपालना में प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19–03–2015 के द्वारा तहसीलदार, कोलायत नम्बर 1 का निर्णय दिनांक 14–10–2002 को पुनः यथावत रखने का आदेश प्रसारित कर दिया तथा अपीलान्ट का नाम जमीन जैर अपील आदेश से हटा दिया। इसी आदेश से अपीलार्थीगण नाराज होकर इस न्यायालय में अपील लेकर उपस्थित आये हैं और अभिकथन किया कि आदेश मातहत न्यायालय न्याय निर्णय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व मिसल रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अपीलमीमो में आगे अपील की मियाद बिन्दु पर अभिकथन करते हुए बताया कि आक्षेपित आदेश की जानकारी उन्हें पूर्व में नहीं हो सकी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश एकतरफा बाला–बाला ही अपीलान्ट की पीठ पीछे प्रसारित किया गया था। उन्हें तो सर्वप्रथम जानकारी दिनांक

15–04–2015 को अपनी जमीन की पूछताछ करने पर हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त होते ही बिना देरी के यह अपील प्रथम ज्ञान की तिथि के आधार पर प्रस्तुत कर दी है तथा साथ ही मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया हैं। अपील में हुई देरी को कण्डोन करने एवं अपील इस आधार पर मियाद के भीतर घोषित करने एवं अपील मंजूर करने का निवेदन किया।

(3) इस अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पंजीकृत डाक से नोटिस भिजवाये गये लेकिन बावजूद तामील के रेस्पोडेन्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं आए। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही इकतरफा के आदेश दिये गये। दौराने अपील अपीलान्ट संख्या 1 श्रीमती भगवतीदेवी की मृत्यु हो जाने से उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख (पत्रावली) भी तलब की गई जो प्राप्त होने पर पत्रावली के साथ संलग्न करवाई गई।

(4) हमने योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट्स व पैरोकारराज की बहस सुनी व रिकार्ड का अवलोकन किया।

(5) योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील प्रार्थना पत्र में दर्ज समस्त तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बताया कि आदेश मातहत न्यायालय गलत, अनुचित व अवैध होने से निरस्तनीय हैं। उन्होंनें अपनी बहस में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में किसी प्रकार की जांच नहीं की है। उन्होंनें तो केवल तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के निर्णय दिनांक 20–12–1974 व संशोधित निर्णय 16–06–1975 में दिये गये निर्णय में खसरा नम्बर 723 की भूमि को आराजीराज होने का आधार अपने निर्णय में लिया है जबकि इस बात को बिलकुल ही अनदेखा कर दिया कि सीलिंग निर्णय के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर में होने पर उन्होंनें अपने निर्णय दिनांक 03–08–2009 में यह अपील को स्वीकार करते हुए तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के आदेश दिनांक 24–12–1974 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16–06–1975 को अपास्त करते हुए खसरा नम्बर 723 की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का आदेश दिया गया तथा साथ ही अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज इन्तकाल संख्या 429 दिनांक 26–04–1974 व इन्तकाल संख्या 770 दिनांक 24–04–1982 को यथावत रखने के आदेश दिये गये थे। उक्त निर्णय सहायक उपनिवेशन आयुक्त (प्रथम), बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 858 दिनांक 04–02–2015 के द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नम्बर 1 को प्रेषित कर दिया था लेकिन तहसीलदार ने इस निर्णय की मौजूदगी में भी अपने स्तर पर आदेश प्रसारित कर दिया जो कतई रूप से विधिसम्मत नहीं है। अन्त में उन्होंनें निवेदन किया कि इस

बहस के आधार पर अपीलार्थी की अपील को मंजूर किया जाना चाहिये।

(6) राज्य की ओर से उपस्थित पैरोकारराज ने अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का कोई विरोध नहीं किया।

(7) हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं पैरोकारराज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी है एवं उस पर मनन किया है तथा पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया हैं।

(8) सर्वप्रथम हम अपील के मियाद बिन्दु को तय करते है। प्रस्तुत अपील तहसीलदार, कोलायत नम्बर 1 की आज्ञा दिनांक 19–03–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25–05–2015 को प्रस्तुत हुई है जो निश्चिततौर पर समय–सीमा से बाधित है क्योंकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि 30 दिवस निर्धारित है। दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में दर्ज तथ्यों के अभिखण्डन में कोई प्रतिशपथपत्र रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किये गये हैं क्योंकि वे न्यायालय में हाजिर ही नहीं आये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के तथ्य अखण्डित रह जाते है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–03–2015 एवं आदेशिका दिनांक 19–03–2015 में किसी भी पक्षकार या उनके अधिवक्ता की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रश्नगत निर्णय का अपीलान्ट को ज्ञान है। अतः दफा 5 मियाद कानून का लाभ अपीलार्थीगण को दिया जाना कानून सम्मत हैं। अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाता है। अतः प्रथम जानकारी के आधार पर प्रस्तुत अपील में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा इस आधार पर अपील मियाद के भीतर प्रस्तुत होनी करार दी जाती हैं।

(9) इस अपील में यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि आया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है या नहीं। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय दिनांक 03–08–2009 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर का प्रस्तुत किया गया पत्रावली में उपलब्ध हैं, जिसका यदि वे अवलोकन करते, तो उसमें स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया है कि खसरा नम्बर 723 का रकबा अवाप्ति से मुक्त किया जाता है तथा वर्तमान अपीलार्थीगण के नाम जो इन्तकाल संख्या 429 व 770 उनकी खरीद के आधार पर तस्दीक हुए हैं, को न्यायालय द्वारा यथावत रखने के आदेश दिये हैं, तो तहसीलदार द्वारा यह निर्णय करना कि खसरा नम्बर 723 की भूमि आराजीराज हैं इसलिए वर्तमान अपीलार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाये जाते हैं, कतई रूप से विधिसम्मत आदेश नहीं माने जा सकते। जब तक रेस्पोडेन्ट स0 1व 2 की भूमि के सम्बन्ध में दर्ज नामान्तरणकरण 459 दिनांक 28.4.74 आज भी वैध है होने के कारण

रेस्पोडेन्ट के हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19–03–2015 पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से समर्थन करने योग्य नहीं है, ना ही इसे कायम रखा जा सकता है। उक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.3.15 को अपीलान्ट की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण को तहसीलदार उपनिवेशन, गजनेर मुख्यालय कोलायत को प्रतिप्रेषित कर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 03–08–2009 को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष को सुनवाई व सबूत का अवसर देते हुए पुनः निर्णय लेने हेतु पत्रावली रिमाण्ड करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

(10) परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स मंजूर की जाती है तथा आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 19–03–2015 को अपीलान्ट की हद तक आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत को प्रति प्रेषित कर ऊपर दिये गये विवेचनों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(11) आदेश आज दिनांक 14–06–2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर